

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

कमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी/(903)/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर की जन्मतिथि दिनांक. 20.07.1959 है को 60 वर्ष की अधिदार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

कमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (903)/2019/225

दिनांक:- 1/4/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- भरतपुर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को उनके पत्र कमांक: 245 दिनांक 25.02.2019 के सन्दर्भ में।
- 4 ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नोड्यूज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर, पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
- 5 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 ~~प्रशासकी~~ सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 7 आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।